

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या-1958/xxxi(15)G/24-74(सा0)/2016
देहरादून: दिनांक 30 दिसम्बर, 2024
अधिसूचना

श्री राज्यपाल मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा-243 के अन्तर्गत निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को वर्ष 2025 ई0 (शक संवत् 1946-47) के लिये समस्त उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं—

वर्ष 2025 अर्थात् शक संवत् 1946-47 की सार्वजनिक अवकाशों की सूची

अनुसूची-1

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2025	06 माघ, 1946	रविवार
2	महाशिव रात्रि	26 फरवरी, 2025	07 फाल्गुन, 1946	बुधवार
3	होलिका दहन	13 मार्च, 2025	22 फाल्गुन, 1946	बृहस्पतिवार
4	होली	14 मार्च, 2025	23 फाल्गुन, 1946	शुक्रवार
5	*ईद-उल-फितर	31 मार्च, 2025	10 चैत्र, 1947	सोमवार
6	राम नवमी	06 अप्रैल, 2025	16 चैत्र, 1947	रविवार
7	महावीर जयन्ती	10 अप्रैल, 2025	20 चैत्र, 1947	बृहस्पतिवार
8	डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल, 2025	24 चैत्र, 1947	सोमवार
9	गुड फ्राईडे	18 अप्रैल, 2025	28 चैत्र, 1947	शुक्रवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	12 मई, 2025	22 वैशाख, 1947	सोमवार
11	*ईद-उल-जुहा (बकरीद)	07 जून, 2025	17 ज्येष्ठ, 1947	शनिवार
12	*मोहर्रम	06 जुलाई, 2025	15 आषाढ़, 1947	रविवार
13	हरेला	16 जुलाई, 2025	25 आषाढ़, 1947	बुधवार
14	रक्षा बन्धन	09 अगस्त, 2025	18 श्रावण, 1947	शनिवार
15	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2025	24 श्रावण, 1947	शुक्रवार
16	जन्माष्टमी	16 अगस्त, 2025	25 श्रावण, 1947	शनिवार
17	* ईद ए मिलाद / मिलाद -उन-नबी बारावफात	05 सितम्बर, 2025	14 भाद्रपद, 1947	शुक्रवार
18	महात्मा गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2025	10 आश्विन, 1947	बृहस्पतिवार
19	दशहरा (विजयदशमी)	02 अक्टूबर, 2025	10 आश्विन, 1947	बृहस्पतिवार
20	महर्षि वाल्मीकि जयन्ती	07 अक्टूबर, 2025	15 आश्विन, 1947	मंगलवार
21	दीपावली	20 अक्टूबर, 2025	28 आश्विन, 1947	सोमवार
22	दीपावली (गोबर्द्धन पूजा)	22 अक्टूबर, 2025	30 आश्विन, 1947	बुधवार
23	ईगास-बगवाल	01 नवम्बर, 2025	10 कार्तिक, 1947	शनिवार
24	गुरु नानक जयन्ती	05 नवम्बर, 2025	14 कार्तिक, 1947	बुधवार
25	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2025	04 पौष, 1947	बृहस्पतिवार

2- उत्तराखण्ड सचिवालय/विधान सभा और जिन कार्यालयों में पाँच दिवसीय सप्ताह लागू है, के फलस्वरूप **अनुसूची-2** में घोषित सार्वजनिक अवकाश सचिवालय/विधान सभा में लागू नहीं होंगे अपितु इन अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया, मानते हुए उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रूप में ऐसे अवकाशों को लेने की अनुमन्य सीमा तक नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

3- श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट अवकाशों को भी वर्ष 2025 (शक संवत् 1946-47) वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।

अनुसूची -2

क. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	श्री गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती	06 जनवरी, 2025	16 पौष, 1946	सोमवार
2	चेटीचन्द	30 मार्च, 2025	09 चैत्र, 1947	रविवार
3	विश्वकर्मा पूजा	17 सितम्बर, 2025	26 भाद्रपद, 1947	बुधवार
4	गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस	24 नवम्बर, 2025	03 अग्रहायण, 1947	सोमवार

4- मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा-247 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार जिलाधिकारियों को इस पैरा में दिए प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय छुट्टियाँ जिनकी संख्या **03 (तीन)** से अधिक न हो, घोषित करने का प्राधिकार है। इसके अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा 247 के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा घोषित किये जाने वाले स्थानीय अवकाशों में, उत्तराखण्ड विधानसभा/सचिवालय तथा जिन कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू है, खुले रहेंगे।

- *यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।
- अनुसूची-1 के द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक/कोषागार/उपकोषागार में लागू नहीं होंगे।
- बैंक/कोषागार/उपकोषागार में निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित अवकाश लागू होंगे, जो कि अनुसूची-4 में सूचीबद्ध किये गये हैं।

8- प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित अनुसूची में दी गयी निर्बन्धित छुट्टियों में से किन्ही दो छुट्टियों को, जो वह लेना चाहें, मनाने की अनुमति दी जायेगी:-

निर्बन्धित अवकाशों की सूची

अनुसूची-3

क. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी, 2025	11 पौष, 1946	बुधवार
2	मकर संक्रान्ति	14 जनवरी, 2025	24 पौष, 1946	मंगलवार
3	बसंत पंचमी	02 फरवरी, 2025	13 माघ, 1946	रविवार
4	गुरु रविदास जयंती	12 फरवरी, 2025	23 माघ, 1946	बुधवार
5	*शब-ए-बारात	14 फरवरी, 2025	25 माघ, 1946	शुक्रवार
6	*जमात-उल-विदा	28 मार्च, 2025	07 चैत्र, 1947	शुक्रवार
7	वैशाखी	13 अप्रैल, 2025	23 चैत्र, 1947	रविवार
8	ईस्टर मन्डे	21 अप्रैल, 2025	01 वैशाख, 1947	सोमवार
9	वीर केशरीचन्द्र शहीद दिवस	03 मई, 2025	13 वैशाख, 1947	शनिवार
10	*चैहल्लुम	15 अगस्त, 2025	24 श्रावण, 1947	शुक्रवार
11	अनन्त चतुर्दशी	06 सितम्बर, 2025	15 भाद्रपद, 1947	शनिवार
12	महाराजा अग्रसेन जयंती	22 सितम्बर, 2025	31 भाद्रपद, 1947	सोमवार
13	दशहरा (महानवमी)	01 अक्टूबर, 2025	09 आश्विन, 1947	बुधवार
14	दीपावली (नरक चतुर्दशी)	20 अक्टूबर, 2025	28 आश्विन, 1947	सोमवार
15	भैयादूज	23 अक्टूबर, 2025	01 कार्तिक, 1947	बृहस्पतिवार
16	छठ पूजा	28 अक्टूबर, 2025	06 कार्तिक, 1947	मंगलवार
17	किसमस (पूर्व संध्या)	24 दिसम्बर, 2025	03 पौष, 1947	बुधवार

* यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अर्न्तगत घोषित अवकाश

6- निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2025 ई0 (शक संवत् 1946-47) के वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं:-

अनुसूची-4

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2025	06 माघ, 1946	रविवार
2	महाशिव रात्रि	26 फरवरी, 2025	07 फाल्गुन, 1946	बुधवार
3	होलिका दहन	13 मार्च, 2025	22 फाल्गुन, 1946	बृहस्पतिवार
4	होली	14 मार्च, 2025	23 फाल्गुन, 1946	शुक्रवार
5	*ईद-उल-फितर	31 मार्च, 2025	10 चैत्र, 1947	सोमवार
6	वाणिज्यक बैंकों की वार्षिक लेखा बन्दी	01 अप्रैल, 2025	11 चैत्र, 1947	मंगलवार
7	राम नवमी	06 अप्रैल, 2025	16 चैत्र, 1947	रविवार
8	डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल, 2025	24 चैत्र, 1947	सोमवार
9	गुड फ्राईडे	18 अप्रैल, 2025	28 चैत्र, 1947	शुक्रवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	12 मई, 2025	22 वैशाख, 1947	सोमवार
11	*ईद-उल-जुहा (बकरीद)	07 जून, 2025	17 ज्येष्ठ, 1947	शनिवार
12	हरेला	16 जुलाई, 2025	25 आषाढ़, 1947	बुधवार
13	रक्षा बन्धन	09 अगस्त, 2025	18 श्रावण, 1947	शनिवार
14	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2025	24 श्रावण, 1947	शुक्रवार
15	जन्माष्टमी	16 अगस्त, 2025	25 श्रावण, 1947	शनिवार
16	* ईद ए मिलाद / मिलाद -उन-नबी बारावफात	05 सितम्बर, 2025	14 भाद्रपद, 1947	शुक्रवार
17	महात्मा गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2025	10 आश्विन, 1947	बृहस्पतिवार
18	दशहरा (विजयदशमी)	02 अक्टूबर, 2025	10 आश्विन, 1947	बृहस्पतिवार
19	दीपावली	20 अक्टूबर, 2025	28 आश्विन, 1947	सोमवार
20	दीपावली (गोबर्द्धन पूजा)	22 अक्टूबर, 2025	30 आश्विन, 1947	बुधवार
21	ईगास-बग्वाल	01 नवम्बर, 2025	10 कार्तिक, 1947	शनिवार
22	गुरु नानक जयन्ती	05 नवम्बर, 2025	14 कार्तिक, 1947	बुधवार
23	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2025	04 पौष, 1947	बृहस्पतिवार

*यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

उपरोक्त अवकाश आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के क्रम में जारी किये गये हैं, जो कि बैंक/कोषागारों/उप कोषागारों में लागू होंगे।

Signed by

Vinod Kumar Suman

(विनोद कुमार सुमन)

Date: 30-12-2024 17:23:22

सचिव

संख्या-1958/xxxi(15)G/24-74(सा0)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल का सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राज्य के समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं 150 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)

सचिव